


२५.०७-२३ पत्रावली वैश डुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी

त्वंप उपस्थित नहीं। बार-बार सवाज लगाने पर भी वकील प्रार्थी या प्रार्थी त्वंप उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अदम पैरवी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर वाजिब किय जाता है। पत्रावली बाद तरीक तक्मील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर बुले मापलप में पुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS